

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थीगण

रामनिवास पुत्र झुझाराम  
निवासी-राजलिया, तहसील-नावां  
प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

अप्रार्थी

बनाम राजरथान सरकार जरिये  
तहसीलदार-नावां

संख्या -397/ 2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14.11.2025	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुराम कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 129, 130, 131, 132, 136 आरटीएक्ट 1956 के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 26.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>26/11/25 पत्रावली पेश हुई जार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्तवा होकर दिनांक 10/12/25 को पेश होकर</p> <p>10/12/25 पत्रावली पत्रा हुई वकील सार्थी उपर. एक्शन में मौजूद रिपोर्ट/ जबाब पत्र हुआ, जो पत्रावली पर लिखा जाता है मिसल में जोत लोभीपारी इतपेक्षित नहीं है मिसल वाले बखर कि मिसल की जाती है मिसल दिनांक: 09/11/25 को पत्र है।</p> <p>29/12/25:- वकील सार्थी उपर. बखर लगी गई मिसल वाला बखर दिनांक: 06/11/26 को पत्र है।</p> <p>06/12/26:- वकील सार्थी उपर सार्थी ज सार्थी पत्र 11/12/29, 130, 131, 132, 136 R.L. एक्ट 1958 एक्टिफाट प्रोजेक्ट होने से एक्टिफाट किया जाता है एक्टिफाट निर्माण बखर जे मिसल पत्रावली वाला है मिसल बखर नामा जे उपर बखर सार्थी इफ्त है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	